INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

भारतीय दलित महिलाओं के संदर्भ में मानवाधिकार

नीलीमा कृष्णकांत ताकसांडे
शोधार्थी
डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर-सिदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
Email: advnilimataksande@gmail.com
Mob. 9890325338/8999067758

मानवाधिकार का अर्थ हैं सम्पूर्ण मानव जाति के अधिकार जिसमें उनकी मान मर्यादा जन्म से समान होती हैं। अधिकार और मान मर्यादा ऐसे मूलभूत नैतिक गुण हैं जो जन्म होने के पश्चात मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। यही आवश्यक तथा स्पष्ट रूप में मानवाधिकार कहलाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा का जो प्रस्ताव स्वीकार किया, उसके अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र जन्म लेता है, उसे जन्मजात प्रतिष्ठा सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त है। उसके साथ ही इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 55 व 56 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर यह बाध्यता प्रविधित की है कि वह मानव अधिकारों के प्रति सम्मान रखे और उनकी क्रियान्विति को गति प्रदान करें तथा मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करें, क्योंकि मानव अधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को इस आधार पर मिलना चाहिए, कि वह मनुष्य हैं। ये वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति में अन्तर्निहित हैं एवं इनके बिना मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रहा जा सकता, कारण कि ये अधिकार मनुष्य के मानवीय गुणों के विकास करने में सहायक हैं। मानवीय अधिकार सभी मनुष्यों के लिए समान हैं, इस कारण अपने अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं बातों के आधार पर भारत में महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किए हैं। और यह अधिकार हर वर्ग की महिलाओं के लिए एक समान है। उच्च वर्ग से लेकर दलित वर्ग तक की महिलाओं, सबको समान अधिकार प्राप्त हुए हैं।

भारत में दलित वर्ग बरसो से शोषित वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग के साथ बरसो से अन्याय होता आ रहा है। भारत में 200 मिलीयन लोग दलित है जिनको अछूत नाम से जाना जाता है। मानवाधिकार आयोग ने हर शोषित वर्ग के लिए अधिकार प्रदान किए है। दलित महिलाएं भी इसमें शामिल है। हर चौथा भारतीय दलित होता है। भारत की महिला जनसंख्या में 16.3 संख्या दलित महिलाओं की है। 75 प्रतिशत दलित गरीबी रेखा के नीचे आते हैं । भारत देश में दलित महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है । तीन मुख्य कारणों की वजह से दलित महिलाओं का शोषण होता आ रहा है, एक वे गरीब है , दूसरे वे महिलायें है और तीसरा वे दलित है ।

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

मानव सभ्यता के इतिहास में महिला अस्मिता, उसके समान अधिकार और स्वतंत्रता का प्रश्न सदा से ही उलझनपूर्ण रहा है। महिला को लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं बनीं, उनमें उसे प्रायः दोयम दर्जे का स्थान ही दिया गया है। महिलाएं दलितों में भी दलित मानी गई हैं। इसके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था और पुरूष प्रधान समाज की सोच पूर्णतः उत्तरदायी है। सामाजिक असमानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, दहेज, जातिप्रथा, लिंगभेद, आदि मुद्दों के विरूद्ध आवाज उठती रहीं हैं और निरंतर उठ रही हैं। परंतु इन सबसे पूरी तरह मुक्ति पाना अभी शेष है। घरेलू महिलाएं घर से बाहर निकलकर घर-परिवार की आवश्यकताओं केअनुरूप परंपरागत मान्यताओं और सामाजिक प्रतिबंधो से कड़ा मुकाबला कर रही हैं और पुरानी पीढ़ी द्वारा आरोपित रूढ़ियो को तोड़कर खुश हो रही हैं। कुछ नया करने के लिए दुस्साहसिक कदम भी उठा रही हैं। भारतीय महिलाएं पुरूष निरपेक्ष नहीं बनना चाहतीं, अपनी अस्मिता बनाना और बचाना चाहती हैं, लेकिन पूरे अधिकार और सम्मान के साथ। हमारे यहां महिलाओं के मनोवैज्ञानिक संस्कार ही अधीनस्थता के हो जाते हैं। त्याग, सहिष्णुता और करूणा अतिवादी स्वरूप धीरे-धीरे महिलाओं को भीरू, असहाय और पराश्रित बनाते चले जाते हैं।

भारतीय संविधान ने महिला व पुरूष दोनों को समकक्ष रखकर उनके विकास के लिए समान अवसरों की गांरटी दी। अनेक प्रावधानों द्वारा महिला को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। मानवाधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं सभी मानवमात्र के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। महिलाओं को सभी मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान उपभोग, सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी हैं। विश्व जनगणना 2001 के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या लगभग 6.5 मिलियन में से लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की हैं। प्रारंभ से ही विश्व में महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग रही है। अतीतकाल से ही समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसी भी स्वस्थ्य और विकसित समाज के निर्माण एवं विकास के लिए स्त्री तथा पुरूष दोनों की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक होती है। स्त्री एवं पुरूष को समाज रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान माना जाता है। अतः समाज के विकास एवं निर्माण के लिए स्त्री-पुरूष की सहभागिता अनिवार्य है। विकास के साथ-साथ नैसर्गिक सिद्धांत का पालन तथा पर्यावरण संतुलन के लिए अति महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अधिकारों में कभी मानव सभ्यता के विकास साथ होती गयी और समय के साथ-साथ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या तथा गंभीरता में भी वृद्धि होती गई। विश्व में महिलाओं पर अत्याचार किए जाते रहे हैं जिसका प्रमुख कारण महिलाओं का आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ापन रहा है। आधुनिक समाज अर्थवाद बन गया है जहां सम्पत्ति संग्रह को आत्मीयता से अधिक महत्व दिया जा रहा है। पूंजीवाद से सत्तावाद तथा सम्पत्ति विलासितावाद, भोगवाद की ओर बढ़ रहा है वहां नैतिक आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं रह गया हैं। इस अर्थयुगीन समाज में नारी अस्तित्व की एक बड़ी विडम्बना है कि स्त्री एक कमजोर प्राणी का नाम हैं। महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ मासूम और अबोध बालिकाएं भी सदियों से पुरूषों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहीं हैं। इस उत्पीड़न में हर वर्ग की

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

महिला शामील है। और इस उत्पीड़न में दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा शोषण हो रहा हैं।

एक दलित महिला की जिंदगी व सम्मान मानवाधिकारों पर बहुत निर्भर करता है। किंतु उनके मानवाधिकारों का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उल्लंघन देखने को मिलता है। बाल जन्म व विवाह पंजीकरण दलित लड़कियों को यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल मजदूरी, जबरन व छोटी उमर में शादी से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु भारत में बाल जन्म व विवाह पंजीकरण की अनिर्वायता के महत्व को सिर्फ अदालतों ने ही समझा है। प्रशासन की लापरवाही व गैर संवदेनशीलता के कारण 46 प्रतिशत शिशुओं का जन्म पंजीकरण नहीं हो पाता और इसमें दलित लड़कियों की संख्या गौरतलब है। दलित महिलाओं के बच्चों को न तो गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। न ही ऐसी शिक्षा जिसे हासिल कर वे सशक्त बन सकें। दलित महिलाओं की इस चिंतनीय स्थिति से जुड़े कारण भी बैचेन करने वाले हैं। यह एक हकीकत है कि दलित महिलाओं के साथ सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही भेदभाव नहीं करते बल्कि अपने समुदाय के भीतर ही उन्हें कमजोर बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जाती है। दलित राजनीति में महिलाओं का वजूद सिर्फ संख्या तक ही सीमित है। उधर महिला आंदोलन में भी दहेज हत्या जैसी सामाजिक समस्याओं पर ज्यादा फोकस किया गया। इस महिला आंदोलन में दलित महिलाओं की आवाज, उनके विद्रोह ज्यादा नजर नहीं आते। इसके अलावा आम दलित महिलाओं को उनके पक्ष में बने कानूनों की जानकारी भी बहुत कम होती है। दलित महिलाओं को प्रताड़ित करनेवाले मामलों में सिर्फ 1 फीसदी अपराधियों को ही अदालत सजा सुनाती है।अदालतों में अपराधियों को सजा से मुक्त करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो पीड़ित दलित महिलाओं को सलती है। दुर्व्यवहार की शिकार सबसे ज्यादा दलित महिलाएं होती हैं । गरीब, दलित, महिला ये तीनों फैक्टर इनके शोषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं आए दिन दलित तबके की महिलाओं पर उच्च जाति के समाज द्वारा जुल्म ढाने की घटनाए सामने आती रहती है। ये सौ फीसदी सत्य है कि अदालत के द्वारा दलित महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले मामलों में अपराधियोकों सिर्फ एक फीसदी ही सजा सुनाई जाती है और वही दूसरी तरफ अदालत में अपराधियोकों सजा से मूक्त करना भी महिलाओं के साथ अत्याचार का बड़ा कारण बनती है जब भी किसी पीड़ित महिला ने अपने ऊपर हुए जुल्म का विरोध किया है तो इन महिलाओं को जिंदा जला डालना, कभी निर्वस्त्र होकर गाँव में घुमाने, उनके परिजनों को बंधक बनाने और मल खिलाने जैसी पाशविक कृत्य वाली घटनाएं अक्सर सामने आती है। वैसे तो समूचे भारत में दलितों और दलित महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की चीखे संसद के गलियारों में सुनाई नही देती।

दलित महिलाओं के मानवधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान ने कई प्रावधान किए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग तो हैं ही साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी काम कर रहें हैं। वैसे तथ्य यही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

जनजाति आयोग अपने उद्देश्यों में पूरी तरह विफल रहे हैं। इन आयोगों को 'रिटायर्ड' राजनीतिज्ञों को 'एकोमोडेट' करने का एक आकरण भर बना दिया गया है। इस आयोग में न तो दलितों की सुनी जाती हैं और न ही दलित औरतों की।

मानवधिकार और दलित महिलाओं का गहरा संबंध है। महिलाएं अपने आप में एक कमजोर वर्ग है लेकिन दलित महिलाएं तो इतनी कमजोर हैं कि वे अपने हक की आवाज तक नहीं उठा सकती हैं। इसके अलावा एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह भी है कि अधिकतर दलित औरतें अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं। विभिन्न शोध और सरकारी रिपोर्टे बताती हैं कि दलित औरतों के मानवधिकारों का हनन सबसे अधिक होता हैं।

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में सर्वप्रथम आता हैभारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दी गई है। कानून की नजर में सभी बराबर हैं तथा धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जा सकता। संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार तथा दर्जा दिया गया है, समय-समय पर और भी कानून बनाए गए हैं जिससे क़ानूनीदृष्टि से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। अत: महिलाओं को यह सब जानने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। वे शिक्षित हों तभी अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर एक आदर्श महिला बन सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, कृष्ण कुमार(2012): मानवाधिकार एवं दलित चेतना, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 4831/24, प्रहलाद गली, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
2. वही
3. शर्मा, रेखा(2012): दलित महिलाएँ एवं मानवाधिकार, रावत प्रकाशन, 4264/3 अंसारी रोड, दरियांगंज, नई दिल्ली-110002
4. सुमन, डॉ. मंजू (2004) : दलित नारी एक विमर्श, सम्यक प्रकाशन, 32/3, क्लब रोड, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-63
5. वही
6. वही